पुष्कर में मकान व गोदाम पर छापा मारा, 564 घरेलू सिलेण्डर जब्त किये

जांच में सामने आया कि विभिन्न निजी गैस एजेंसियों के नाम पर यह नेटवर्क संचालित हो रहा था

- यहां निर्धारित सीमा (लगभग 100 किलोग्राम) से कहीं अधिक मात्रा में गैस का भंडारण किया जा रहा था, जो नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है
- मकान पर छापे में टीम ने 64 और बागोलाई क्षेत्र के गोदाम से 500 सिलेंडर जब्त किए

जिला रसद विभाग की टीम ने पुष्कर में बड़ी मात्रा में घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए।

अजमेर, (निसं)। जिले में एलपीजी गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने, कालाबाजारी पर रोक लगाने और अवैध भंडारण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए जिला रसद विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस कार्रवाई के तहत 564 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए।

वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा एलपीजी आपूर्ति व्यवस्था पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। इसी क्रम में पुष्कर क्षेत्र में संचालित एक गैस एजेंसी से जुड़े अवैध गैस कारोबार के खिलाफ कार्रवाई की गई। जिला रसद विभाग की टीम ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत छापेमारी करते हुए इस बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया। टीम ने सबसे पहले देवनगर रोड स्थित एक मकान पर छापा मारा गया, जहां से 64 गैस सिलेंडर बरामद हुए। इसके बाद कार्रवाई का दायरा बढ़ाते हुए बागोलाई क्षेत्र के एक बड़े गोदाम पर दबिश दी गई, जहां से 500 सिलेंडर जब्त किए गए, जिसमें 432 खाली सिलेंडर, 68 भरे हुए सिलेंडर (14.5 किलोग्राम क्षमता) शामिल हैं।

जांच में सामने आया कि विभिन्न निजी गैस एजेंसियों के नाम पर यह नेटवर्क संचालित किया जा रहा था। यहां निर्धारित सीमा (लगभग 100 किलोग्राम) से कहीं अधिक मात्रा में गैस का भंडारण किया जा रहा था, जो नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। साथ ही, अलग-अलग स्थानों पर अवैध गोदाम बनाकर गैस सिलेंडरों का बड़े स्तर पर भंडारण और सप्लाई की जा रही थी। जांच के दौरान यह भी पाया गया कि संबंधित एजेंसियों के पास गैस सिलेंडरों की खरीद-बिक्री से जुड़े बिल और अन्य आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे। जिसमें उपभोक्ताओं को जारी किए गए कनेक्शन की जानकारी नहीं दी गई और रिफिलिंग से संबंधित रिकॉर्ड भी अधूरा पाया गया। गोदाम में 68 भरे सिलेंडरों में कुल 986 किलोग्राम गैस पाई गई। नियमों के अनुसार बिना लाइसेंस एक स्थान पर 100 किलोग्राम से अधिक गैस का भंडारण पूरी तरह अवैध है।

जिला रसद अधिकारी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए के तहत कार्रवाई की गई है। जब्त किए गए सभी 564 गैस सिलेंडरों को आगे के आदेश तक सुरक्षित रखने के लिए पुष्कर भारत गैस एजेंसी को सुपुर्द किया गया है।

इस पूरी कार्रवाई में जिला रसद अधिकारी (प्रथम), मोनिका जाखड़, जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) नीरज कुमार जैन, प्रवर्तन अधिकारी सुनीता शर्मा, प्रवर्तन अधिकारी मीना कुमारी, प्रवर्तन निरीक्षक महेंद्र कुमार यादव, प्रवर्तन निरीक्षक मुकेश बुनवालिया, प्रवर्तन निरीक्षक राहुल कुमार देववाल शामिल रहे।

जोधपुर : रातानाड़ा हरिजन बस्ती में पुलिस दल पर हमला

- तेज आवाज में बज रहे साउण्ड बंद कराने पहुंची थी रातानाड़ा थाना पुलिस
- एसआई और दो कांस्टेबल घायल, वर्दी फाड़ी, राजकार्य में बाधा का केस दर्ज
- अतिरिक्त जाब्ता बुलाकर पुलिस ने तीन युवकों को शांतिभंग में पकड़ा

जोधपुर, (कासं)। शहर के रातानाड़ा स्थित केसर बाग, हरिजन बस्ती में तेज आवाज में बज रहे साउण्ड बंद कराने पहुंची पुलिस पर बस्ती के युवकों ने लाठी और पत्थर से हमला कर दिया। इसमें सबइंस्पेक्टर सहित दो कांस्टेबल चोटिल हो गए। हमले के दौरान पुलिस की वर्दी भी फट गई। बाद में अतिरिक्त जाब्ता बुलाकर पुलिस ने तीन युवकों को फिलहाल शांतिभंग में पकड़ा और राजकार्य में बाधा का केस बनाया। घटना को लेकर अठिाम कार्रवाई जारी है। घटना 18 मार्च की अलसुबह होना बताया गया है।

रातानाड़ा पुलिस ने बताया कि अलसुबह पुलिस नियंत्रण कक्ष से सूचना मिली कि केसरबाग हरिजन बस्ती में तेज साउण्ड बज रहा है। इस पर थाने की गश्ती दल सबइंस्पेक्टर शिवदेवराम, कांस्टेबल गोपाराम एवं चालक विकास वहां पहुंचे। साउण्ड बंद करने की बात की तब वहां मौजूद मनीष उर्फ मोनू पुलिस से उलझा बाद में दो अन्य युवक पंकज और अरूण भी पुलिस से उलझ गए। इन लोगों ने विरोध जताने के साथ पुलिस पर लाठी और पत्थर से हमला करना शुरू कर दिया। इससे सबइंस्पेक्टर शिवदेवराम, कांस्टेबल गोपाराम एवं चालक विकास चोटिल हो गए। धक्काधूम में पुलिस की वर्दी भी फट गई। बाद में पुलिस नियंत्रण कक्ष से अतिरिक्त जाब्ता बुलाया गया। पुलिस ने शोरशराबे के बीच तीन आरोपियों मनीष, पंकज और अरूण को शांतिभंग में गिरफ्तार किए जाने के साथ राजकार्य में बाधा डाले जाने का प्रकरण बनाया। आरोपियों की मुकदमे में गिरफ्तारी शेष है।

किसान की मौत

जोधपुर, (कासं)। करवड़ क्षेत्र में एक कृषक की फसल पर दवाई छिड़काव के बाद तबीयत बिगड़ गई। उसे अस्पताल ले जाया गया, मगर बाद में उसकी मौत हो गई। उसके भाई की तरफ से पुलिस में मर्ग की रिपोर्ट दी गई है। करवड़ पुलिस ने बताया कि अतुणावेश केरू निवासी मूलाराम पुत्र प्रेमाराम माली की तरफ से रिपोर्ट दी गई। इसमें बताया कि उसका भाई कैलाश रात को करवड़ में फसल पर दवाई छिड़काव के बाद खेत से बाहर निकला था। तब उसकी अचानक से तबीयत बिगड़ गई।

15.600 किलो अफीम डोडा सहित एक गिरफ्तार

छबड़ा, (निसं)। पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्यवाही करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 15 किलो 605 ग्राम अफीम डोडा को जब्त किया।

सीआई राजेश खटाना के अनुसार हनुवतखेड़ा गुगोर बायपास रोड के निकट की जा रही नाकाबंदी के दौरान गुगोर फाटक रोड की तरफ से सामने से एक व्यक्ति अपने कंधे पर एक सफेद रंग का प्लास्टिक का कट्टा लेकर आता हुआ दिखाई दिया, जो पुलिस को देखकर एकदम से रोड के बायीं तरफ नीचे उतर कर स्टेशन की तरफ जाने लगा। संदेह होने से उक्त व्यक्ति को डिटेन कर नाम पता पूछा तो उक्त व्यक्ति ने घबराई हुई स्थिति में अपना नाम जागो साहनी (51) पुत्र मुखलाल साहनी बताया, जिससे पूछा तो कोई संतोषप्रद जबाब नहीं दिया। डिटेन जागो साहनी के कब्जे से मिले उक्त प्लास्टिक के कट्टे को खोलकर देखा तो उसमे 15 किलो 605 ग्राम अफीम डोडा को जब्त किया जाकर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इस पर एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।

जोधपुर में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े की तबीयत बिगड़ी

- डॉक्टरों ने राज्यपाल के स्वास्थ्य की जांच की और आराम करने की सलाह दी

जोधपुर, (कासं)। गुरुवार को दो दिवसीय दौरे पर जोधपुर आए राज्यपाल व कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े की तबीयत खराब हो गई। एमबीएम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होकर लौटते समय उनकी तबीयत खराब हो गई। इसके बाद डॉक्टरों की टीम सर्किट हाउस पहुंची। उनके स्वास्थ्य की जांच की और आराम करने की सलाह दी। फिलहाल राज्यपाल सर्किट हाउस में आराम कर रहे हैं।

जानकारी के अनुसार राज्यपाल गुरूवार की सुबह एमबीएम विश्वविद्यालय में होने वाले दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए जोधपुर पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर उनका गार्ड ऑफ ऑनर के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान एयरपोर्ट पर जिला कलैक्टर गौरव अग्रवाल, पुलिस आयुक्त शरत कविराज सहित प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। सुबह करीब 11 बजे वह दीक्षांत समारोह में भाग लेने एमबीएम विश्वविद्यालय पहुंचे थे। वहां से करीब दोपहर एक बजे समारोह समाप्त होने के बाद सर्किट हाउस के लिए रवाना हुए। इस दौरान रास्ते में उनकी तबीयत थोड़ी नासाज हुई, जी मिचलाने लगा। उन्हें उल्टी आने जैसा महसूस हुआ। सर्किट हाउस पहुंचने पर डॉक्टरों की टीम ने उनका हेल्थ चैकअप किया। इसके बाद उन्होंने हल्का भोजन किया। फिलहाल राज्यपाल सर्किट हाउस में आराम कर रहे हैं। राज्यपाल की तबीयत नासाज होने के चलते जिला कलैक्टर गौरव अग्रवाल, डीसीपी ईस्ट मनीष चौधरी, एसीपी ईस्ट प्रतीक सिंह सहित विभिन्न प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे।

निजी अस्पताल में मरीज की मौत पर लापरवाही का आरोप

- मृतक के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही और हत्या तक के आरोप लगाया
- परिजनों ने परिसर में नारेबाजी की और ऐसे अस्तपाल को बंद करने की मांग तक कर दी

अजमेर, (कासं)। अजमेर शहर के वैशालीनगर पंचशील स्थित एक अस्पताल में उपचार के दौरान एक मरीज की मौत के बाद गुरुवार को जमकर हंगामा हो गया। मृतक के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही और हत्या तक के आरोप लगाते हुए परिसर में नारेबाजी की और ऐसे अस्तपाल को बंद करने की मांग तक कर दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालने का प्रयास किया, लेकिन काफी देर तक माहौल तनावपूर्ण बना रहा।

जानकारी के अनुसार मृतक विजय सिंह पुत्र देवी सिंह रावत है। परिजनों के अनुसार विजय सिंह को 13 मार्च को पेट दर्द की समस्या के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था। चिकित्सकों द्वारा इलाज शुरू किया गया और 14 मार्च की सुबह परिजनों को आश्वासन दिया गया कि मरीज को जल्द ही छुट्टी दे दी जाएगी। परिजनों का आरोप है कि उसी दिन रात करीब साढ़े नौ बजे अस्पताल से फोन आया, जिसमें बताया गया कि मरीज बेड से नीचे गिर गया है और कोमा में चला गया है। इसके बाद तत्काल ऑपरेशन की बात कही गई और मरीज को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। परिजनों का यह भी कहना है कि उन्हें मरीज से मिलने नहीं दिया गया, जिससे उनकी चिंता और बढ़ गई। मृतक की बहन पार्वती सहित उनके परिजन का आरोप है कि दो दिन तक सही जानकारी नहीं दी गई और अंततः 18 मार्च को अस्पताल प्रशासन ने सूचना दी कि ऑपरेशन के दौरान मरीज की मौत हो गई है। परिजनों का कहना है कि अगर समय पर उचित देखभाल की जाती और लापरवाही नहीं बरती जाती, तो विजय सिंह की जान बचाई जा सकती थी।

मृतक के परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि मरीज डॉक्टर व नर्सिंग स्टाफ की देखरेख में था, इसके बावजूद सुरक्षा और निगरानी में भारी चूक हुई। उनका कहना है कि आईसीयू जैसे संवेदनशील वार्ड में मरीज का बेड से गिरना अस्पताल की बड़ी लापरवाही को दर्शाता है। घटना के विरोध में आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर विरोध प्रदर्शन किया और दोषी डॉक्टरों व स्टाफ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को समझाने का प्रयास किया और स्थिति को नियंत्रण में लिया। इस मामले को लेकर परिजनों ने कृष्णगंज थाने में अस्पताल प्रशासन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और पूरे घटनाक्रम की पड़ताल की जा रही है। जब पूरे मामले में अस्पातल प्रबंधन के आलोक शर्मा के मोबाइल पर संपर्क करना चाहा, लेकिन आलोक शर्मा ने फोन नहीं उठाया।

OFFICE OF THE DISTRICT SPORTS TRAINING CENTRE JALORE

E-Mail:jilakheladhikarijalore@gmail.com

No. 152 DATE19.03.26

NOTICE INVITING TENDERS

The Bids For the District Sports Officer is purchasing boxing equipment and sports supplies for the sport of boxing in Jalore district under the PanchGaurav Therefore, bonafide bids are invited from manufacturers/wholesalers/sole distributors/ authorized dealers/marketers for the program. open above supplyNIT NO.132 Estimated Cost Rs. 15 Lacs) are invited From interested bidders up to 23.03.2026 other particular of the Bid may be visited on the procurement Portal(http:// eproc.rajasthan.gov.in, http://sppp.raj.nic.in) of the state.

UBN NO. CJL2526GLOB00037

DISTRICT SPORT OFFICER
OFFICE OF THE DISTRICT SPORTS TRAINING CENTRE JALORE

DIPR/C/5862/2026

राजस्थान सरकार

निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर

क्रमांक-निदे/अ.ख.अ.नीलामी/निलामी (ERCC/RCC 04)/2026/ई-14809

ई-नीलामी विज्ञिप्त संख्या (ERCC/RCC 04)/2026

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम-36 व 37 के तहत विभाग द्वारा इस विज्ञिप्त से अप्रधान खनिजों के प्रभावशील खनन पट्टों / क्वारी लाईसेसों व परमिट क्षेत्रों से निर्गमित होने वाले खनिजों पर अधिशुल्क /अधिक अधिशुल्क, परमिट शुल्क, प्रिमीयम शुल्क, डी.एम.एफ.टी., आर.एस.एम.ई.टी. एवं अन्य शुल्क संग्रहण के कुल 20 ठेके खुली ई-नीलामी के माध्यम से दिये जाने हेतु इलेक्ट्रोनिक प्लेटफार्म पर इच्छुक बोलीदाताओं से बोली आमंत्रित की जाती है। ठेकों से संबंधित विस्तृत विवरण जैसे- ठेका क्षेत्र, खनिज, अमानत राशि, बोली प्रस्तुत करने की तिथि व समय इत्यादि का विवरण व ई-ऑक्शन की प्रकिया एवं मुख्य शर्तें विभागीय वेबसाइट www.mines.rajasthan.gov.in एवं इलेक्ट्रोनिक प्लेटफार्म प्रदाता कंपनी MSTC की वेबसाइट www.mstcecommerce.com पर उपलब्ध हैं।

(महावीर प्रसाद मीणा) निदेशक

DIPR/C/5661/2026

सीकर में बारिश के साथ चने के आकार के ओले गिरे

- दो दिन तक मौसम के बदलने का पूर्वानुमान जताया
- सीकर और रींगस में दो मिमी बारिश दर्ज

सीकर, (निसं)। पश्चिमी विक्षोभ के असर से चार दिन से छाए बादल सीकर में दोपहर बाद बरस पड़े। सीकर सहित कई स्थानों पर तेज हवाओं संग चने के आकार के ओले गिरे। ओलावृष्टि का दौर एक से दो मिनट तक चला। इसके बाद बारिश शुरू हो गई।

मौसम विभाग के अनुसार 48 घंटे के दौरान पश्चिमी विक्षोभ का असर सर्वाधिक रहेगा। इस दौरान जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, उदयपुर संभाग में मेघ गर्जना और तेज हवाओं संग बारिश होगी। इस दौरान कहीं-कहीं ओले भी गिर सकते हैं। एक दिन मौसम शुष्क रहने के बाद 22 मार्च को पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग में दोबारा हल्की बारिश हो सकती है। सीकर में मंगलवार रात से पूर्वी हवाएं चलने के कारण मौसम हल्का सर्द रहा। अलसुबह आंशिक बादल छाए और बारिश के आसार नजर आए। दिन में धूप निकलने के बावजूद हवा में नमी रही। दोपहर बाद अचानक मौसम पलटा और बादलों की गर्जना के साथ तेज हवाएं चलनी शुरू हो गई। बादल छाने के कारण हल्का अंधेरा छा गया। दौरान शहर में कई स्थानों पर चने के आकार के ओले गिरे। हवाएं थमने के साथ करीब दस मिनट तक बारिश का दौर चला। जिला मुख्यालय और रींगस क्षेत्र में दो-दो मिमी बारिश दर्ज की गई। इससे सड़कों पर जगह-जगह पानी भर गया। फतेहपुर में अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री व न्यूनतम तापमान 13.9 डिग्री और सीकर में अधिकतम तापमान डिग्री व न्यूनतम तापमान डिग्री दर्ज किया गया।

तेज गर्मी से जूझ रहे लोगों को मौसम के बदले तेवर ने एक ओर जहां राहत दी वहीं रबी फसलों की कटाई कर रहे किसानों की चिंता बढ़ा दी है। तेज हवाओं के कारण खेतों में खड़ी गेहूं और सरसों की फसल पसर गई। किसानों का कहना है कि इस समय होने वाली बारिश के साथ हवाएं और ओलावृष्टि नुकसान पहुंचाती है।

कुण्ड में डूबने से युवक की मौत

भरतपुर, (निसं)। जुरहरा क़स्बे के पुन्हाना रोड स्थित गोपाल कुण्ड में गुरुवार को कचरा बीनने वाले करीब 35 साल के एक युवक की डूबने से मौत हो गई। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची जुरहरा थाना पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से मृत युवक के शव का जुरहरा के राजकीय किरोड़ीलाल स्वर्णकार अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर उसे परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। घटना के सम्बंध में मृतक के परिजनों ने जुरहरा थाने में मर्ग दर्ज कराई है।

मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार को क़स्बे के गोपाल जी मन्दिर पर स्थित कुंड एक युवक के गिर जाने की सूचना पर जुरहरा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसके शव को कुण्ड से बाहर निकलवाया, जिसकी शिनाख्त राजा पुत्र डासी सिंधी ग्राम सतवाडी थाना पहाड़ी हाल अनाज मंडी कोसी रोड कामां के रूप में हुई। पुलिस ने परिजनों को सूचना दी और परिजनों के आ जाने पर पोस्टमार्टम के लिए पंचनामा तैयार कर मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर उसके शव को परिजनों के सुपुर्द किया गया। मृतक के परिजनों ने इस सम्बन्ध में मर्ग दर्ज कराई है।

मसूदा में होटल पर बाइक सवार युवकों ने फायरिंग की

- सीसीटीवी की मौजूदगी में भी गोलियां चलाते नजर आए युवक

मसूदा, (निसं)। मसूदा क्षेत्र में बढ़ते अपराधों ने एक बार फिर कानून व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। मसूदा-रामगढ़ रोड स्थित एक होटल पर देर रात अज्ञात बाइक सवार युवकों द्वारा की गई फायरिंग की घटना ने क्षेत्र में दहशत फैला दी है।

हैरानी की बात यह है कि हमलावरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे सीसीटीवी कैमरों की मौजूदगी में भी खुलेआम गोलियां चलाते नजर आए। इस फायरिंग में होटल का एक कर्मचारी घायल हो गया, जिसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद पुलिस के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा भी लिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ दिन पहले भी इसी होटल पर करीब एक दर्जन लोगों ने हमला कर होटल मालिक और कर्मचारियों के साथ मारपीट की थी। इसके बावजूद आरोपियों पर सख्त कार्रवाई नहीं होने से उनके हौसले और बढ़ गए।

हादसे में छह लोग घायल

जोधपुर, (कासं)। बोरुंदा के पास कुरड़ाया में एक ट्रैक्टर-ट्रॉली के असंतुलित होकर तिरछी होने से सात लोग घायल हो गए। इनमें से दो गंभीर घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर किया गया है। बोरुंदा के हरजीनाडा व घाटी के पास स्थित भंवरियों की ढाणी से ग्रामीण एक सामाजिक समारोह में भाग लेने के लिए फालका जा रहे थे। कुरड़ाया के पास कच्ची सड़क मार्ग पर ट्रैक्टर की ट्रॉली अचानक एक टायर पर तिरछी हो गई, जिससे उसमें सवार लोग घायल हो गए। घायलों में नैना देवी, राधा, आयचुकी देवी, गजा देवी, कांता देवी, श्रेणी देव और विकास शामिल हैं।

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता,
जन स्वा. अभि. विभाग, नगर खण्ड प्रथम कोटा

निविदा सूचना संख्या 19/2025-26

UBN Code: PHE2526WSOB15556

समुचित वर्ग के सूचीबद्ध सक्षम ठेकेदारों से विभाग के निम्न कार्य करने हेतु राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम 2013 के अन्तर्गत पेयजल कार्यों से सम्बन्धित सेवाओं के उपापनों के सम्बन्ध में दिशा-निर्देशानुसार ई-प्रोक्यूरमेंट प्रक्रिया द्वारा ऑन लाईन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा हेतु नियमानुसार विहित अग्रिम धनराशि देने के पश्चात् निविदा हेतु पात्र होंगे, निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्यूरमेन्ट प्रक्रिया हेतु ऑनलाईन निविदाएँ दो लिफाफा पद्धति में आमंत्रित की जाती है।

निविदा फार्म ऑनलाईन वेबसाईट http://www.eproc.rajasthan.gov.in से दिनांक 13.03.2026 सांय 05:30 बजे से डाउनलोड किये जा सकते है। ऑनलाईन निविदाएँ इसी वेबसाईट पर इच्छुक संवेदकों द्वारा दिनांक 13.03.2026 से दिनांक 24.03.2026 तक सांय 6:00 बजे तक अपलोड किये जा सकते है। वेबसाईट पर उनके सम्मुख दिनांक 25.03.2026 को इस कार्यालय में दोपहर 2:00 बजे खोली जावेगी। यदि किसी कारणवश उस दिन अवकाश रहता है तो उसके अगले दिन कार्य दिवस को उसी समय पर निविदा खोली जावेगी। निविदा शुल्क / प्रक्रिया शुल्क निविदादाता द्वारा ऑन लाईन चालान द्वारा निविदा प्रपत्रो में वर्णन अनुसार इस कार्यालय में सभी निविदा प्राप्ति की दिनांक 25.03.2026 तक को दोपहर 01:00 बजे तक जमा करवाना आवश्यक है। निविदा से सम्बन्धित विस्तृत विवरण निम्नलिखित वेबसाईट पर देखे जा सकते है :-

1. http:// phedwater.rajasthan.gov.in
2. www.dipronline.org
3. http://www.eproc.rajasthan.gov.in
4. http://sppp.rajasthan.gov.in

"जल ही जीवन है"

(अभिषेक मिश्रा)
अधिशाषी अभियंता
जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
नगर खण्ड प्रथम कोटा

DIPR/C/5588/2026

बीकानेर के चानी गांव में पांच साल तक रॉयल्टी वसूली का अवैध नाका लगाया

खनिज ढोने वाले वाहनों से पांच साल तक करोड़ों रुपए की वसूली की गई

- लोकायुक्त को शिकायत पर जांच हुई और गबन सामने आया तो वीडीओ को बर्खास्त कर दिया गया, एसीबी से मामले की जांच कराए जाने की तैयारी
- चानी गांव में ग्राम पंचायत की ओर से वीडीओ और सरपंच ने मिलीभगत कर निजी आय बढ़ाने के नाम पर अवैध नाका लगा दिया था

बीकानेर, (निसं)। यहां कोलायत के चानी गांव में सरपंच और वीडीओ की मिलीभगत से अवैध नाका लगाकर खनिज ढोने वाले वाहनों से पांच साल तक करोड़ों रुपए की वसूली की गई। लोकायुक्त को शिकायत पर जांच हुई और गबन सामने आया तो वीडीओ को बर्खास्त कर दिया गया। अब एसीबी से मामले की जांच कराए जाने की तैयारी है।

खनिज वाहनों से रॉयल्टी वसूलने का ठेका खान विभाग की ओर से बिड जारी कर दिया जाता है, लेकिन, कोलायत के चानी गांव में ग्राम पंचायत की ओर से वीडीओ और सरपंच ने मिलीभगत कर निजी आय बढ़ाने के नाम पर अवैध नाका लगा दिया और वर्ष, 15 से 20 के दौरान पांच साल तक खानों से क्ले, बजरी, सिलिका सेंड व अन्य खनिज लेकर गुजरने वाले वाहनों से करोड़ों रुपए की वसूली की गई। यह राशि ग्राम पंचायत में जमा नहीं कराई और गबन कर लिया गया। इसकी शिकायत जयपुर सचिवालय में लोकायुक्त तक पहुंची तो पंचायत समिति कोलायत के लेखाधिकारी और सहायक विकास अधिकारी की कमेटी बनाकर जांच कराई गई। कमेटी ने जांच शुरू की तो ग्राम पंचायत की ओर से वर्ष, 15-16 का रिकॉर्ड ही उपलब्ध नहीं कराया गया। वर्ष, 16-17 से 31 दिसंबर, 19 तक का रिकॉर्ड मिला जिसमें वर्ष, 16-17 से 19 तक रसीद बुकों का कोई इन्द्राज नहीं था। रिकॉर्ड में वाहन कर रसीद बुकों से 2.13 करोड़ रुपए की आय होना सामने आया, लेकिन ग्राम पंचायत की रोकड़ बही में 1.82 करोड़ रुपए की आय ही दर्ज मिली। 31 लाख रुपए का कोई प्रमाण नहीं था जो सीधा गबन है। इसके अलावा 1.82 करोड़ रुपए के पेटे 56 लाख रुपए के वाउचर पेश किए गए और शेष 1.26 करोड़ रुपए के वाउचर पेश नहीं किए।

जांच में तत्कालीन सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी को जिम्मेदार माना गया है। चानी के तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी और वर्तमान में पंचायत समिति लूणकरणसर कार्यरत उदयभान को बर्खास्त कर दिया गया है। तत्कालीन सरपंच मनोहरसिंह, ग्राम विकास अधिकारी उदयभान सहित अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में रिपोर्ट दिए जाने की तैयारी कर ली गई है।

जिला परिषद की ओर से गबन के मामले की रिपोर्ट एसीबी को दी जाएगी। एसीबी पूरे मामले की जांच करेगी। इसमें चानी के तत्कालीन सरपंच मनोहरसिंह और ग्राम विकास अधिकारी उदयभान यादव सहित रिटायर हो चुके तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी गोविन्दसिंह और जयकरणसिंह भी एसीबी के राडार पर आ सकते हैं। खनिज वाहनों से वसूली की अवधि के दौरान इन दोनों की पोस्टिंग भी चानी में रही है। जिला परिषद की ओर से ग्राम विकास अधिकारी को आरोप-पत्र देकर जवाब मांगा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। जिला स्थापना समिति की 13 मार्च, 2026 को बैठक हुई, जिसमें चानी के तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी और वर्तमान में लूणकरणसर पंचायत समिति में कार्यरत उदयभान यादव को राजकीय सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया है।

तालाब में डूबने से एक की मौत

डूंगरपुर, (निसं)। जिले के सदर थाना क्षेत्र के देवल गामडी गांव में एक 48 वर्षीय व्यक्ति की तालाब में डूबने से मौत हो गई। यह घटना महादेव तालाब में हुई। मृतक की पहचान बाबूलाल पुत्र काउवा गमेती के रूप में की गई है।

पुलिस के अनुसार बलेटी घाटी फला निवासी बाबूलाल घर से देवल गामडी जाने का कहकर निकले थे। काफी देर तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की। इसी दौरान स्थानीय लोगों ने महादेव तालाब में एक शव तैरता हुआ देखा, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को तालाब से बाहर निकाला। मृतक की पहचान बाबूलाल के रूप में हुई। परिजनों को सूचित किया गया, जिसके बाद वे मौके पर पहुंचे और शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में शिफ्ट करवाया गया। परिजनों ने पुलिस को बताया कि बाबूलाल तालाब में नहाने के लिए उतरे थे, लेकिन गहरे पानी में चले जाने के कारण वह खुद को संभाल नहीं पाए और डूब गए। पुलिस ने पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है।

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग खण्ड बाड़ी

नीलामी सूचना

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि इस खण्ड के अधीन खण्डीय भण्डार, जन स्वा अभि0 विभाग बाडी में विभिन्न प्रकार के निम्नानुसार नकारा घोषित सामान की नीलामी खण्डीय भण्डार बाडी में दिनांक 08.04.2026 को दोपहर 12 बजे से सांय 5 बजे तक की जावेगी। अतः सभी नीलामी में भाग लेने वाले बोलीदाताओं को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होकर इस नीलामी में सक्रिय भाग लेवें। नीलामी किये जाने वाले सामान का अवलोकन किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय के दौरान खण्डीय भण्डार बाडी में किया जा सकता है। नीलामी का सामान जहाँ है जैसा है, के आधार पर नीलाम किया जावेगा।

क्र.सं.	सामान का नाम	मात्रा	पुस्तक मूल्य
1	(इलेक्ट्रिक) गेज स्केप, मैन स्विच, पेनलबोर्ड, स्टार्टर	189.00 Kg.	80800.00
2	जी.आई. स्क्रॅप, हैण्ड मय हैण्डल, जी.आई. पाईप 32 एम.एम. और जी.आई. पाईप 50 एम.एम., तिपाई, हैण्डपम्प	9161.00 Kg.	1101660.00
3	एम.एस. स्क्रेप, कनेक्टिंग रोड टी एण्ड पी, डीजल इन्जन पम्पसेट	5174.90 Kg.	554300.00
4	सी.आई. स्क्रेप स्लूस वॉल, रिकूसर कैप, सिलेण्डर बॉडी	823.00 Kg.	139750.00
5	घन मैटल	46.60 Kg.	27150.00
6	कॉपर बायर	286.00 Kg.	128700.00
7	वूडन	40.00 Kg.	2600.00
8	समर्सिबल पम्पसेट (नं0)	77.00 No.	983500.00
9	मोनोब्लाक पम्पसेट	5.00 No.	141000.00
10	किलोस्कर मेक पम्प सेट 2 एचपी	4.00 No.	7500.00
11	Dewatering Pump Set 2 HP	2.00 No.	3500.00
	योग		3170460.00

नियम व शर्ते

1. प्रत्येक बोलीदाता की बोली लगने से पूर्व राशि 50000/- रुपये का डिमाण्ड ड्राफ्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता (अधिशाषी अभियन्ता जन स्वा अभि0 विभाग खण्ड बाडी) के पक्ष में दिनांक 08.04.2026 को 11.30 ए.एम. तक आवश्यक रूप से जमा कराना होगा।
2. नीलामी समिति के सामने बोली लगानी होगी।
3. अन्तिम बोली छूटने पर बोली राशि का 1/4 राशि उसी समय जमा करानी होगी अन्यथा धरोहर राशि जप्त कर ली जायेगी। नीलामी सम्बन्धित पूर्ण अधिकार नीलामी कमेटी में निहित है। नीलामी कमेटी का निर्णय सर्वमान्य एवं अन्तिम होगा।

नोट :- अन्य नीलामी की शर्तें कार्यालय समय में देखी जा सकती है।

DIPR/C/5557/2026